जन सुनवाई कार्यवाही विवरण

मैसर्स जय भोले बाबा ग्रेनाईट, प्रस्तावित खनन परियोजना (ग्रेनाईट) के खनन की क्लस्टर मय खनन परियोजना का रेफेरेन्स नम्बर 20221000052261, क्षेत्रफल 1.1746 हैक्टयर उत्पादन क्षमता 123648 टन प्रतिवर्ष एवं क्लस्टर का कुल क्षेत्रफल 6.4991 हैक्टयर के खसरा नम्बर 56 शा.न. 58 निकट ग्राम– बाछेरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक (राजस्थान) में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उपखण्ड़ अधिकारी, मालपुरा, जिला टोंक की अध्यक्षता मे दिनांक 15.10.2024 को प्रातः 11:30 बजे पंचायत समिति मालपुरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक (राजस्थान) में आयोजित जन सुनवाई की कार्यवाही **(Minutes)** का विवरण–

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसरण में कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2024/7986 दिनांक 21.08.2024 एव क्षेत्रिय कार्यालय, राजस्थान प्रदुषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी के पत्र क्रमांक राप्रनिम/आरओ–बूंदी/पी.यू.बी.-101/852–858 दिनांक 21.08.2024 के अनुपालना में मैसर्स जय भोले बाबा ग्रेनाईट, प्रस्तावित खनन परियोजना (ग्रेनाईट) के खनन की क्लस्टर मय खनन परियोजना का रेफेरेन्स नम्बर 20221000052261, क्षेत्रफल 1.1746 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 123648 टन प्रतिवर्ष एवं क्लस्टर का कुल क्षेत्रफल 6.4991 हैक्टेयर के खरारा नम्बर 56 शा.न. 58 निकट ग्राम– बाछेरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक (राजस्थान) के खनन से सम्बन्धित जन सुनवाई दिनांक 15.10.2024 को आयोजित की गई। कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के पत्र क्रमांक न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2024/11933 दिनांक 14.10.2024 के संशोधित आदेश द्वारा उपखण्ड़ अधिकारी, मालपुरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक को उक्त जनसुनवाई हेतु अधिकृत किया गया।

सुनवाई में उपस्थित सभी व्यक्तियो का विवरण मय हस्ताक्षर परिशिष्ट संख्या 01 पर संलग्न है। जन सुनवाई की आम सूचना समाचार पत्र ताज भारती के संस्करण में दिनांक 13.09.2024 एवं द इण्डीयन एक्सप्रेस के संस्करण में दिनांक 12.09.2024 को प्रकाशित की गई थी जिसकी प्रति परिशिष्ट संख्या 02 पर संलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी
मालपुरा (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

जन सुनवाई के प्रारम्भ मे राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारी श्रीमती सविता ने सभी आंगतुको का स्वागत किया। तत्पश्चात् श्रीमान् अमित चौधरी, उपखण्ड अधिकारी मालपुरा, तहसील टोंक, जिला टोंक की अनुमति से जन सुनवाई प्रारम्भ की गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी ने जन सुनवाई के प्रावधान, उदेदश्य एवं महत्व तथा प्रस्तावित परियोजना के बारे में जानकारी दी एव परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने हेतु पर्यावरणीय सलाहकार को जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/व्यक्तियों को प्रस्तावित खनन परियोजना के बारे में विस्तार से अवगत कराने बाबत आमंत्रित किया।

परियोजना प्रबंधक की ओर से खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार परिवेश इन्वॉयरमेन्टल इन्जीनियरिंग सर्विसेज की तकनीकी सलाहकार श्री गौरीशंकर के माध्यम से जन सुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/जनसमुह को विस्तृत जानकारी दी। खनन मय क्लस्टर की प्रस्तावित परियोजना की मुख्य विशेषताएं, कुल उत्पादन क्षमता, खनन योग्य खनिज भण्डार, खनन विधि, खान की आयु, अध्ययन क्षेत्र का विवरण, टोपोग्राफी, खनन से होने वाले संभावित पर्यावरणीय प्रभाव और न्यूनीकरण उपाय, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, पर्यावरण प्रबंधन के साथ हरित पट्टी का विकास, व्यवसयिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा श्रमिक कल्याण हेतु प्रस्तावित कार्य एवं कोर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.) के सम्बन्ध में भी जानकारी दी गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी एवं श्रीमान् अमित चौधरी, उपखण्ड अधिकारी मालपुरा, जिला टोंक की ओर से जन सुनवाई में उपस्थित ग्राम वासियों/जनसमूह को अपने विचार/आपत्ति सुझाव प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा गांव वालों को खान से कोई आपत्ति के बारे में पुछा तथा बताया की अगर कोई समस्या हो तो आप लिखित में भी अपना सुझाव दे सकते है।

अंत में ग्रामवासी/जनसमुदाय ने खान के बारे में कोई आपत्ति नहीं होना बताया।

जन सुनवाई से पहले, दौरान एवं जनसुनवाई के पश्चात् उक्त परियोजना से संबंधित कोई भी सुझाव/अभ्यावेदन/प्रार्थना पत्र लिखित में प्राप्त नही हुए है।

उपखण्ड अधिकारी
मालपुरा (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

अंत में श्रीमान् अमित चौधरी, उपखण्ड अधिकारी मालपुरा, जिला टोंक की अनुमति से श्रीमती सविता, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों/ जनसमूह को शांति एवं संयम पूर्वक अपनी बात कहने, जन सुनवाई में भाग लेने हेतु हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए जन सुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।

जन सुनवाई की विडियो रिकॉर्डिंग व सी.डी. संलग्न है।

अमित चौधरी
उपखण्ड अधिकारी
मालपुरा, जिला टोंक (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
मालपुरा (टोंक)

सविता
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.म. बूंदी (राज.)
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बून्दी (राजस्थान)

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थिति पत्रक

मैसर्स जय भोले बाबा ग्रेनाइट, रेफेरेन्स संख्या 20221000052261, क्षेत्रफल– 1. 1746 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता– 1,23,648 TPA (ROM), निकट ग्राम– बाछेरा, तहसील –मालपुरा, जिला –टोंक, की प्रस्तावित ग्रेनाइट खनन परियोजना के सम्बन्ध में पर्यावरणीय सुनवाई :–

स्थान :– पंचायत समिति सभागार, मालपुरा, जिला टोंक (राज0)

दिनांक :– 15.10.2024

समय :– प्रातः11:30 बजे से

क्र. सं.	नाम व पता	हस्ताक्षर
1.	Amit kumar Choudhary SDM Mlp	[signature]
2.	Savita, RO, RSPCB, Bundi	Savita
3.	Rohitash Bala, AEE, RPCB, Bundi	[signature]
4.	Ronak Goyal	Ronak
5.	Jai prakash Amir	[signature]
6.	[illegible]	[signature]
7.	लक्ष्मण [illegible]	लक्ष्मण
8.	मुकेश [illegible] मदनगंज किशनगढ़	[signature]
9.	गजानन्द S/o नानाराम रूपाहेली	गजानन्द
10.	[illegible] S/o [illegible]	[signature]
11.	अ० हमीद S/o अ० शकूर [illegible]	अ० हमीद
12.	मोहम्मद नाजिर S/o अब्दुल [illegible]	[signature]
13.	गोरधनसिंह S/o छितर सिंह रूपाहेली	
14.	दिग्विजयसिंह S/o नारायणसिंह [illegible] गांव	दिग्विजयसिंह
15.		

क्र.	नाम व पता	हस्ताक्षर
15.	जसकरण ओलाकन्द दाधीची	जसकरण
16.	नानू	नानू
17.	लालाराम	लालाराम
18.	कुलवंत कोटेपुर	Kulwant
19.	पुखानन्दगिरि ग्राम - दाबड़ा	पुखानन्दगिरि
20.	हेमराज जाट भीलवाड़ा	हेमराज
21.	हरिनारायण सोनी	[illegible]
22.	अंकित नाथ	अंकित नाथ
23.	कजोड़ीराम गुर्जर	कजोड़ीराम गुर्जर
24.	लोकेश रूपावत	लोकेश
25.	गणेश पीपली	गणेश पीपली
26.	शिवराज	[illegible]
27.	सुरेश गुर्जर	सुरेश
28.	नरेन्द्र भास्कर	[illegible]
29.	रूघाराम गोदारा	रूघाराम गोदारा
30.	नियाज मोहम्मद	N. Mohd
31.		
32.		
33.		
34.		

Scanned with OKEN Scanner

रुपए/किमी की कीमत पर पेश किया गया है।

बैटरी एज ए सर्विस - अनूठा ओनरशिप प्रोग्राम

भारत के पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में पहली बार, जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया अपने बैटरी एज ए सर्विस (BaaS) पेशकश के साथ एक अभिनव ओनरशिप प्लान को पेश कर रही है, जो एक मैनुअल कॉम्पेक्ट एसयूवी की कीमत पर फुल-साइज कैपेबल इलेक्ट्रिक सीयूवी को खरीदना संभव बनाता है। यह लचीला ओनरशिप प्रोग्राम बैटरी की अग्रिम लागत को खत्म करता है, जिससे ग्राहक केवल इसके उपयोग के लिए

है। इसके अलावा, ... के पहले ओनर को अपनी तरह की पहली लाइफटाइम बैटरी वारंटी की पेशकश कर रही है। एमजी ऐप द्वारा eHUB के साथ, कंपनी एक साल के लिए मुफ्त सार्वजनिक चार्जिंग की पेशकश कर रही है, जिससे विंडसर ओनर के लिए कभी भी, कहीं भी चार्ज करना पहले से कहीं ज्यादा आसान होगा। जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने विंडसर के लिए 3-60 सुनिश्चित बायबैक प्लान की भी पेशकश की है, जो यह सुनिश्चित करता है कि 3 साल बाद या 45,000 किलोमीटर के बाद इसकी 60 प्रतिशत वैल्यू हासिल की

... के अनुभव में वृद्धि ... है। इसके ... 15.6 इंच ग्रांड्यू टच डिस्प्ले प्रभावी मनोरंजन और स्मार्ट कनेक्टिविटी फीचर्स देता है।

एमजी के ग्लोबल स्मार्ट इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म, जो अपनी विश्वसनीयता के लिए प्रसिद्ध है, पर निर्मित एमजी विंडसर में एक शक्तिशाली पीएमएस मोटर है, जो आईपी67 सर्टिफाइड है। 38 kWh ली-आयन बैटरी पैक और 4 ड्राइविंग मोड्स (Eco+, Eco, Normal और Sport) जो 100KW (136ps) की पावर और 200Nm का इंस्टैंट टॉर्क प्रदान करता है,

---

जयपुर।

11. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बूंदी जिला बूंदी।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय / पर्यावरण जनसुनवाई/ 2024/7986 दिनांक 21.08.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्तसमूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 15.10.2024(मगलवार) को दोपहर 12:00 बजे, स्थान -पंचायत समिति सभागार, मालपुरा, तहसील मालपुरा, जिला. टोंक में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव /आपति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, बूंदी जिला बूंदी में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैशिक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केंद्रीय /राज्य सरकार द्वारा समय.समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्लॉट नं डी-15, ईश्वरी फ्रूट गार्डन के पास, न्यू कॉलोनी,
बूंदी ई-मेल: rorpcb.bundi@gmail.com

LiFE Lifestyle for Environment

RPCB/RO BUNDI/PUB-101/852 Date:21.08.2024

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषयः मैसर्स जय भोले बाबा ग्रेनाइट, रेफरेस संख्या 20221000052261 निकट ग्राम बाछेरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1.सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट (रेफरेस संख्या 20221000052261), कुल क्लस्टर क्षेत्र 6.4991 हेक्टेयर, आवेदक मैसर्स जय भोले बाबा ग्रेनाइट द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना है जिसका खनन क्षेत्र 1.1746 हैक्टयर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 123648 टीपीए (रोम), जो कि रेफरेंस संख्या 20221000052261 निकट ग्राम बाछेरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक में स्थित है। से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल(यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित)को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स जय भोले बाबा ग्रेनाइट, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्तपरियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ.1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3.उक्तपरियोजना से सम्बंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिलप कार्यपालक भार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

1. जिला कलक्टर, टोंक। 2.CEO जिला परिषद् टोंक। 3.राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर। 4.क्षेत्रीय कार्यालय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार,ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर।
5.महा प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र टोंक। 6.उपखण्ड अधिकारी मालपुरा, जिला टोंक।
7.क्षेत्रीय प्रबंधक रीको, टोंक। 8. ग्राम पंचायत मालपुरा।
9. राजीव गाँधी सेवा केंद्र, ग्राम मालपुरा तहसील मालपुरा, जिला टोंक
10. निर्देशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
11. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बूंदी जिला बूंदी।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय / पर्यावरण जनसुनवाई/ 2024/7986 दिनांक 21.08.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्तसमूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 15.10.2024(मगलवार) को प्रातः11:30 बजे, स्थान -पंचायत समिति सभागार, मालपुरा, तहसील मालपुरा, जिला. टोंक में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव /आपति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, बूंदी जिला बूंदी में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैशिक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केंद्रीय /राज्य सरकार द्वारा समय.समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्लॉट नं डी-15, ईश्वरी फ्रूट गार्डन के पास, न्यू कॉलोनी,
बूंदी ई-मेल: rorpcb.bundi@gmail.com

LiFE Lifestyle for Environment

RPCB/RO BUNDI/PUB-119/902 Date:22.08.2024

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषयः मैसर्स श्री सिंधोलिया माताजी ग्रेनाइट रेफरेंस संख्या 20231000084574, निकट ग्राम रुपाहेली, तहसील मालपुरा, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट (रेफरेंस संख्या 20231000084574), कुल क्लस्टर क्षेत्र 13.1090 हेक्टेयर, ''आवेदक मैसर्स श्री सिंधोलिया माताजी ग्रेनाइट द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना है जिसका खनन क्षेत्र 1.002 हैक्टयर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 147336 टीपीए (रोम), जो कि रेफरेंस संख्या 20231000084574, निकट ग्राम रूपाहेली, तहसील मालपुरा, जिला टोंक में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल(यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित)को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स श्री सिंधोलिया माताजी ग्रेनाइट, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्तपरियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ.1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। 2

3.उक्तपरियोजना से सम्बंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिलप कार्यपालक भार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है.

1. जिला कलक्टर, टोंक। 2.CEO जिला परिषद् टोंक। 3.राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर। 4.क्षेत्रीय कार्यालय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार,ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर।
5.महा प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र टोंक। 6.उपखण्ड अधिकारी मालपुरा, जिला टोंक।
7.क्षेत्रीय प्रबंधक रीको, टोंक। 8. ग्राम पंचायत मालपुरा।
9. राजीव गाँधी सेवा केंद्र, ग्राम मालपुरा तहसील मालपुरा, जिला टोंक
10. निर्देशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
11. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बूंदी जिला बूंदी।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय / पर्यावरण जनसुनवाई/ 2024/7986 दिनांक 21.08.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्तसमूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 15.10.2024(मगलवार) को दोपहर 12:30 बजे, स्थान पंचायत समिति सभागार मालपुरा तहसील मालपुरा, जिला टोंक में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव /आपति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, बूंदी जिला बूंदी में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैशिक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केंद्रीय /राज्य सरकार द्वारा समय.समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

...एक खास पेशकश की है जिसका... कोस्टा कॉफी
...गीन मौसम को ध्यान में रखते हुए, कोस्टा कॉफी ने लॉन्च किए हैं।यह लॉन्च कोस्टा कॉफी
...ल लैट्टे, आइस्ड लैट्टे और फ्रैप्पे ...अलग-अलग प्रोडक्ट्स के प्रति प्रतिबद्धता
...रीन क्वालिटी, इनोवेशन और अलग-अलग ...जरूरतों को पूरा करता है। इन अनोखे
...ा है, जो भारत के कॉफी प्रेमियों की ...ठंड के मौसम में और भी खास हो
...के साथ, कॉफी पीने का अनुभव इस ...मैपल के मीठे सिरप का स्वाद है,
...मैपल हेज़ल लैट्टे में हेज़लनट और ...ताजगी भरी पेशकश है। ठंडा पसंद
...पल हेज़ल आइस्ड लैट्टे एक ठंडी और ...क्रीमी और चिल्ड फॉर्मेट में मौसमी
...नों के लिए, मैपल हेज़ल फ्रैप्पे एक ...हेज़ल मेन्यू का लॉन्च यह दिखाता
...का लाजवाब मिश्रण है। भारत में मैपल ...रहा है। लोग अब सिर्फ कॉफी पीने
...रे देश में कॉफी कल्चर लगातार बढ़ ...की तलाश कर रहे हैं और इसे
...त नहीं हैं, बल्कि इसमें नए-नए स्वादों ...दुनियाभर में भी देखा जा रहा
...अनुभव के रूप में देख रहे हैं। यह ट्रेंड ...लेना पसंद करते हैं। भारत
...ोग कॉफी को एक अनोखे अनुभव की तरह ...पेश करते हुए, विनय नायर,
...कॉफी के नए स्वाद मैपल हेज़ल मेन्यू को ...कॉफी ने कहा, हमें बहुत
...नेजर, इंडिया और इमर्जिंग मार्केट्स, कोस्टा ...नई मैपल हेज़ल कॉफी लेकर
...शरद ऋतुके इस मौसम में हम भारत में ...परफेक्ट है, और दुनियाभर के
...ह कॉफी इस मौसम के लिए बिल्कुल ...हैं। हमें यकीन है कि आप इसे
...रह की कॉफी इस मौसम में पसंद करते ...हमेशा ऐसे स्वाद बनाना चाहती
...ऋतु का आनंद उठाएंगे। कोस्टा कॉफी ...इस सीज़न में हमारी मैपल
...ों को करीब लाएं। हमें उम्मीद है कि आप ...
...ी का भरपूर आनंद लेंगे।
...कॉफी को बेहतरीन गुणवत्ता की कॉफी बनाने का 50 से अधिक वर्षों
...है। इसने भारत में स्वादिष्ट कॉफी लाने के लिए लगातार नए प्रयोग किए
...तेजी से अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है।

...स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। सही पोषण और खानपान की सेहतमंद आदतों के महत्व को समझने के लिए हम 1 से 30 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाते हैं। पोषण संबंधी समस्याओं को सुनने, लोगों तथा कम्युनिटीज को जागरूक करने, सशक्त बनाने तथा खानपान के बेहतर विकल्पों को चुनने के लिए एक मंच प्रदान करता है। सही स्वास्थ्य पाने के लिए पौष्टिकता से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे बादाम, साबुत अनाज, सब्जियां, फल, फलियां और इस प्रकार की अन्य चीजों से युक्त संतुलित आहार लेना बेहद जरूरी है। बादाम में 15 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जिनमें विटामिन ई, मैग्नीशियम, प्रोटीन, जिंक, पोटेशियम और आहारीय फाइबर शामिल हैं, जो संपूर्ण स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। इंडियन कौंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च

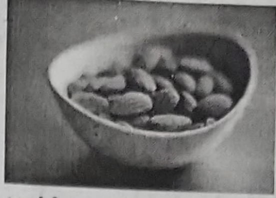

(आईसीएमआर)- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रीशन (एनआईएन) ने हाल ही में भारतीयों के लिए डाइटरी गाइडलाइन जारी की है। इसमें बताया गया है कि अच्छी सेहत के लिए रोजाना बादाम को नट के रूप में लेना चाहिए। रोजाना बादाम खाने से सेहत को कई सारे फायदे होते हैं जैसे वजन नियंत्रित रहता है, दिल की सेहत बेहतर होती है और ब्लड शुगर का स्तर नियंत्रित रहता है। अपनी फिटनेस की दिनचर्या और आदतों के लिए जानी जाने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री सोहा अली खान कहती हैं, मैं सोच-समझकर सेहतमंद खानपान की आदतों को पालन करती हूं। साथ ही अपने पोषण पर भी नजर रखने की कोशिश करती हूं, क्योंकि अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए ये बेहद जरूरी है। मुझे हर मील में पौष्टिकता से भरपूर फूड्स को शामिल कर खाने का पहले ही प्लान करना पसंद है। यदि मैं शूटिंग या इंटरव्यू के लिए बाहर जाती हूं तो मैं अपने साथ हेल्दी स्नैक्स रखना नहीं भूलती जैसे बादाम का बॉक्स। इससे मुझे लंबे समय तक भूख नहीं लगती और मुट्ठीभर बादाम खाने से मुझे अपने रोजाना के पोषण को पूरा करने में भी मदद मिलती है। तो इस राष्ट्रीय पोषण माह में आइए हम खाने की स्वस्थ आदतें अपनाने का संकल्प लें और अपने खाने में बादाम जैसे पौष्टिक फूड्स को शामिल करने की कोशिश करें। राष्ट्रीय पोषण माह पर अपनी बात रखते हुए, रीजनल हेड-डायटेटिक्स, मैक्स हेल्थकेयर, दिल्ली की रितिका समद्दर कहती है।

...चल पैदा करेगी एमजी विंडसर

...मोटर इंडिया ने लॉन्च की ...टेलिजेंट सीयूवी विंडसर

...हैं। सबसे जरूरी, खरीदार
...वाहनों के ईंधन लागत के
...किलोमीटर के हिसाब से
...का भुगतान करना होगा।
...शुरुआती खरीद लागत को
...कर देता है और प्रति
...र्च को कम करता है,
...किफायती और परेशानी
...अनुभव सुनिश्चित होता
...वा, कंपनी एमजी विंडसर
...को अपनी तरह की पहली
...री वारंटी की पेशकश कर
...प द्वारा eHUB के साथ,
...साल के लिए मुफ्त
...िंग की पेशकश कर रही
...र ओनर के लिए कभी
...र्ग करना पहले से कहीं
...ा। जेएसडब्ल्यू एमजी
...डसर के लिए 3-60
...प्लान की भी पेशकश
...श्चित करता है कि 3
...000 किलोमीटर के
...शत वैल्यू हासिल की

जा सकती है।

इंटेलिजेंट सीयूवी में एक एयरोग्लाइड डिजाइन लैंग्वेज है, जो परंपरिक सेगमेंटेशन को भविष्यवादी और बदलावकारी अवधारणा में बदलती है। 135 डिग्री तक झुकने वाली स्पेशियस एयरो लाउंज सीट के साथ इसका इंटीरियर भव्य और शानदार है, इसका विशाल इनफिनिटी व्यू ग्लास रूफ बिजनेस क्लास के अनुभव में वृद्धि करता है। इसके सेंट्रल कंसोल में बड़ा 15.6 इंच ग्रांडव्यू टच डिस्प्ले प्रभावी मनोरंजन और स्मार्ट कनेक्टिविटी फीचर्स देता है।

एमजी के ग्लोबल स्मार्ट इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म, जो अपनी विश्वसनीयता के लिए प्रसिद्ध है, पर निर्मित एमजी विंडसर में एक शक्तिशाली पीएमएस मोटर है, जो आईपी67 सर्टिफाइड है। 38 kWh ली-आयन बैटरी पैक और 4 ड्राइविंग मोड्स (Eco+, Eco, Normal और Sport) जो 100KW (136ps) की पावर और 200Nm का इंस्टैंट टॉर्क प्रदान करता है,

क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्लॉट नं डी-15, ईश्वरी फ्रूट गार्डन के पास, न्यू कॉलोनी,
बूंदी ई-मेल: rorpcb.bundi@gmail.com

LiFE Lifestyle for Environment

RPCB/RO BUNDI/PUB-100/859 Date:21.08.2024

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय:मैसर्स श्री बालाजी ग्रेनाइटस, रेफरेंस संख्या 20221000067066, निकट ग्राम बाछेरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट (रेफरेंस संख्या 20221000067066), कुल क्लस्टर क्षेत्र 6.4991 हेक्टेयर," आवेदक मैसर्स श्री बालाजी ग्रेनाइटस द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना है जिसका खनन क्षेत्र 2.3843 हैक्टयर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 285768 टीपीए (रोम), जो कि रेफरेंस संख्या 20221000067066, निकट ग्राम बाछेरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स श्री बालाजी ग्रेनाइटस, ने राजस्थान ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकुति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्तपरियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ.1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3.उक्तपरियोजना से सम्बंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षितप कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोक नार्थ उपलब्ध है.

1. जिला कलक्टर, टोंक। 2.CEO जिला परिषद् टोंक। 3.राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर। 4.क्षेत्रीय कार्यालय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर।
5.महा प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र टोंक। 6.उपखण्ड अधिकारी मालपुरा, जिला टोंक।
7.क्षेत्रीय प्रबंधक रीको, टोंक। 8. ग्राम पंचायत मालपुरा।
9. राजीव गाँधी सेवा केंद्र, ग्राम मालपुरा तहसील मालपुरा, जिला टोंक
10. निर्देशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
11. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बूंदी जिला बूंदी।

अत: सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय / पर्यावरण जनसुवनाई/ 2024/7986 दिनांक 21.08.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्तसमूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 15.10.2024(मगलवार) को दोपहर 12:00 बजे, स्थान -पंचायत समिति सभागार, मालपुरा, तहसील मालपुरा, जिला. टोंक में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव /आपति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, बूंदी जिला बूंदी में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैशिक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केंद्रीय /राज्य सरकार द्वारा समय.समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी

...ज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
...र्डन के पास, न्यू कॉलोनी,
...bundi@gmail.com

LiFE Lifestyle for Environment

Date:21.08.2024

...क सुनवाई के लिए आम सूचना

...T 20221000052261 निकट ग्राम बाछेरा, तहसील
...निंग परियोजना हेतु पययर्वारण स्वीकृति के लिए लोक
...ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट (रेफरेस संख्या

क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्लॉट नं डी-15, ईश्वरी फ्रूट गार्डन के पास, न्यू कॉलोनी,
बूंदी ई-मेल: rorpcb.bundi@gmail.com

LiFE Lifestyle for Environment

RPCB/RO BUNDI/PUB-119/902 Date:22.08.2024

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय: मैसर्स श्री सिंधोलिया माताजी ग्रेनाइट रेफरेंस संख्या 20231000084574, निकट ग्राम रुपाहेली, तहसील मालपुरा, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट (रेफरेस संख्या ...) कुल क्लस्टर क्षेत्र 13.1090 हेक्टेयर, ''आवेदक मैसर्स श्री सिंधोलिया माताजी ग्रेनाइट ... है तथा प्रस्तावित उत्पादन

Scanned with OKEN Scanner

नियंत्रण मण्डल
, न्यू कॉलोनी,
mail.com

LiFE Lifestyle for Environment

Date:22.08.2024

के लिए आम सूचना

)231000084574, निकट ग्राम रुपाहेली,
ग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए

स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट (रेफरेस संख्या
आवेदक मैसर्स श्री सिघोलिया माताजी ग्रेनाइट
क्षेत्र 1.002 हैक्टयर है तथा प्रस्तावित उत्पादन
0084574, निकट ग्राम रूपाहेली, तहसील
वेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक
य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में

ान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त
परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को
ालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी
ो. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों
दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
ा) एवं संक्षिलप कार्यपालक भार अभिलेख

3.राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
क्षेत्रीय कार्यालय वन पर्यावरण एवं जलवायु
स्थानिक क्षेत्र जयपुर।
ालपुरा, जिला टॉक।

क
ल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय,

ी जिला बूंदी।
स्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय / पर्यावरण
आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित
कृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 15.
समिति सभागार मालपुरा तहसील मालपुरा,
ाव प्रस्तुत कर सकते हैं।
ाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय
जा सकते हैं। यह आम सूचना वैशिक महामारी
र पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी
ी।

(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी

T COMPANY LIMITED
a Credit Company Limited)
1,102 & 103, 2 North Avenue, Maker Maxity,
- 400051.
ovable Property)
(Enforcement) Rules, 2002)
cer of **SMFG India Credit Company**
ny Limited), Having its registered
v No. 165, Poonamallee High Road
porate office at 10th Floor, Office No.
andra Kurla Complex, Bandra (E),
nstruction of Financial Assets and
2002), and in exercise of powers
the Security Interest (Enforcement)
3 calling upon the borrower(s) (1)
HA SHARMA under loan account
ount mentioned in the notice being
housand Six Hundred Fifty Nine
d notice.
t, notice is hereby given to the
has taken Physical possession of
wers conferred on him under sub
Rule 8 of the Security Interest
year 2024.
hereby cautioned not to deal with
subject to the Charge of SMFG
Credit Company Limited) for an
ety Thousand Six Hundred Fifty

-section (8) of section 13 of the
ssets.
AND PARCEL OF IMMOVABLE

MUNICIPAL COUNCIL SHAHADA
Dist. NANDURBAR
e-TENDER NOTICE for 2024-2025

Shahada Municipal Council invites e-Tender for the work of Augmentation to Shahada Water Supply Scheme, Tal. Shahada, Dist. Nandurbar in the State of Maharashtra of Estimated Cost Rs. 55,95,49,056.00. The e-Tender details are available on www.mahatenders.gov.in. All relevant dates will be as per the tender published in web portal- www.mahatenders.gov.in

Date 12/09/2024

(Sd/-) Chief Officer,
Shahada Municipal Council

यूको बैंक — सम्मान आपके विश्वास का
UCO BANK HONOURS YOUR TRUST

NOTICE INVITING TENDER FOR ELECTRIC AUDIT OF BRANCHES & ATMS

Sealed bids are invited from valid degree/ license holder's electric engineers/auditors for doing electric safety audit in branches & ATMs under UCO Bank, Zonal Office, Jaipur.Tender documents with detailed terms & conditions can be downloaded from Bank's website www.ucobank.com. Bids should be submitted to UCO Bank, Zonal Office, "Arcade International", 2nd Floor, Civil Lines, Ajmer Road, JAIPUR – 302006 on or before 5 PM, 4th October, 2024. For additional information please contact on 0141 - -2224794.

ZONAL MANAGER

PUNJAB STATE POWER C
(Regd. Office : PSEB Head Offi
Corporate Identity Number
Website : www.pspcl.in
PSPCL

E-Tender Enq No. 566/P-3/EMPW-12809

Dy. Chief Engineer/Headquarter (Procuremen invites **E-Tender ID No. 2024_POWER_12** maintenance & Overhauling of Bowl Mills (i.e. Feeders, mill reject system & its auxiliaries, p of coal pipes, removal/ clearing of mills rejec R.C.Feeders areas; transportation of mill rejec CHP yard for four units i.e.4x210MW (Unit no: Rupnagar.

For detailed NIT and Tender Specification please from dated 11.09.2024/01:00 PM onwards.

NOTE: Corrigendum and addendum, if any
https://eproc.punjab.gov.in

No. 37576/PSPCL

क्षेत्रीय कार्यालय   राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्लॉट नं डी-15, ईश्वरी फ्रूट गार्डन के पास, न्यू कॉलोनी,
बूंदी ई-मेल: rorpcb.bundi@gmail.com

LiFE Lifestyle for Environment

RPCB/RO BUNDI/PUB-100/859   Date:21.08.2024

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय:मैसर्स श्री बालाजी ग्रेनाइटस, रेफरेंस संख्या 20221000067066, निकट ग्राम बाछेरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट (रेफरेंस संख्या 20221000067066), कुल क्लस्टर क्षेत्र 6.4991 हेक्टेयर," आवेदक मैसर्स श्री बालाजी ग्रेनाइटस द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना है जिसका खनन क्षेत्र 2.3843 हैक्टयर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 285768 टीपीए (रोम), जो कि रेफरेंस संख्या 20221000067066, निकट ग्राम बाछेरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स श्री बालाजी ग्रेनाइटस, ने राजस्थान ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्तपरियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ.1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3.उक्तपरियोजना से सम्बंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षितप कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोक नार्थ उपलब्ध है.

1. जिला कलक्टर, टोंक। 2.CEO जिला परिषद् टोंक। 3.राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर। 4.क्षेत्रीय कार्यालय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार,ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर।
5.महा प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र टोंक। 6.उपखण्ड अधिकारी मालपुरा, जिला टोंक।
7.क्षेत्रीय प्रबंधक रीको, टोंक। 8. ग्राम पंचायत मालपुरा।
9.राजीव गाँधी सेवा केंद्र, ग्राम मालपुरा तहसील मालपुरा, जिला टोंक
10. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
11. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बूंदी जिला बूंदी।

अत: सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय / पर्यावरण जनसुवनाई/ 2024/7986 दिनांक 21.08.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्तसमूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 15.10.2024(मगलवार) को दोपहर 12:00 बजे, स्थान -पंचायत समिति सभागार, मालपुरा, तहसील मालपुरा, जिला. टोंक में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।
साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव /आपति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, बूंदी जिला बूंदी में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैशिक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केंद्रीय /राज्य सरकार द्वारा समय.समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय   राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्लॉट नं डी-15, ईश्वरी फ्रूट गार्डन के पास, न्यू कॉलोनी,
बूंदी ई-मेल: rorpcb.bundi@gmail.com

LiFE Lifestyle for Environment

RPCB/RO BUNDI/PUB-101/852   Date:21.08.2024

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय:मैससे जय भोले बाबा ग्रेनाइट, रेफरेस संख्या 20221000052261 निकट ग्राम बाछेरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना हेतु पयर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1.सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट (रेफरेस संख्या 20221000052261), कुल क्लस्टर क्षेत्र 6.4991 हेक्टेयर, आवेदक मैससे जय भोले बाबा ग्रेनाइट द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना है जिसका खनन क्षेत्र 1.1746 हैक्टयर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 123648 टीपीए (रोम), जो कि रेफरेस संख्या 20221000052261 निकट ग्राम बाछेरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक में स्थित है। से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैससे जय भोले बाबा ग्रेनाइट, ने राजस्थान ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्तपरियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ.1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3.उक्तपरियोजना से सम्बंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिलप कार्यपालक भार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोक नार्थ उपलब्ध है.

1. जिला कलक्टर, टोंक। 2.CEO जिला परिषद् टोंक। 3.राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर। 4.क्षेत्रीय कार्यालय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार,ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर।
5.महा प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र टोंक। 6.उपखण्ड अधिकारी मालपुरा, जिला टोंक।
7.क्षेत्रीय प्रबंधक रीको, टोंक। 8. ग्राम पंचायत मालपुरा।
9. राजीव गाँधी सेवा केंद्र, ग्राम मालपुरा तहसील मालपुरा, जिला टोंक
10. निर्देशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
11. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बूंदी जिला बूंदी।

अत: सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय / पर्यावरण जनसुवनाई/ 2024/7986 दिनांक 21.08.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्तसमूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 15.10.2024(मगलवार) को प्रात:11:30 बजे, स्थान -पंचायत समिति सभागार, मालपुरा, तहसील मालपुरा, जिला. टोंक में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।
साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव /आपति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, बूंदी जिला बूंदी में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैशिक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केंद्रीय /राज्य सरकार द्वारा समय.समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी

RELIANCE

Reliance Asset Reconstru
Address : 11th Floor, Nor
Western Express Highwa
9079938140

APPENDIX-IV [See rule-8(1)] POSSESSION

Whereas, The undersigned being the Authorized officer **Limited**,under the Securitization and Reconstruction of Interest Act 2002. and in exercise of Powers conferred u of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, iss respect of Loan Account bearing No. **3877/RARCBF** Mortgagors, Co-Borrowers &Guarantors :-**Mr. Gopal Lal Meena W/O Gopal Lal Meena, & Mr. Arjun Lal Mee** mentioned in the notice being **Rs.10,16,927/- (Rupee Twenty Seven Only)togetherwith interest from 23.09.2** the said notice. The Borrower and guarantors mention amount towards the bearing No. **3777/RARCBFL0000** underlying securities( ), including the Immovable Pro Reconstruction Company Limited acting as Trustee o **(Formerly known as Baid Leasing And Finance Co. L** SARSAESI Act 2002.
The Borrowers, Mortgagors, Co-Borrowers & Guarant repay the amount, notice is hereby given to the Borrow undersigned has taken **Physical Possession** of the pr powers conferred on him/her under Sub Section (4) o Security interest (Enforcement) Rules, 2002 on **06/09/2**
The Borrower/Guarantor attention is invited to provis in Respect of time available to redeem the secured ass
The Borrowers, Mortgagors, Co-Borrowers & Guarant the public in general is hereby cautioned not to deal with the property/properties will be subject to the Company Limited for an amount of **Rs.10,16,927/- (R Twenty Seven Only)as on 23.09.2023 towards the** interest charges till its realization.

Description of imm

All that part and parcel of the Property's consis Gram- Sursinghpura, Th-Phulera, Dist-Jaipur, Ra name of Gopal Lal Meena S/O Nanda Ram Me Ghisa Ram & Ramdev Meena,On the South by:H On the East by :Land Of Shyopal & Ramdev Mee

Date: 06.09.2024
Place: Sursinghpura,Phulera

BANGALORE WATER SUPPLY AND SEWERAGE BOARD

INVITATION FOR TENDER (Only through KPP portal)

BWSSB invites TENDERS in Two Stage Tender System from registered agencies for the following works.

Office of the Chief Engineer (North), 2nd Floor, Cauvery Bhavan, K.G. Road, Bangalore-09

Sl. No.	Name of the Works	Amount put to Tender / EMD Amount
	IFT No.: BWSSB/EIC/CE(N)/ACE(N)-I/DCE(M)-II/TA(N)/3772/2024-25	**Date: 10.09.2024**
	Providing and laying 300mm dia RCC NP3 sewer-line to facilitate white topping (a) from Airforce Junction to Nagashettihalli Busstop via Sanjaynagar main road by connecting all sub-crosses laterals coming under Sanjaynagar Service ... to Nagashettihalli junction of Bhoopasandra	₹ 363.12 lakhs

---

RELIANCE

Reliance Asset Reconstruction Company Ltd.(RARC 077 Trust)
Address : 11th Floor, North Side, R-Tech Park,
Western Express Highway, Goregoan (East), Mumbai 400063
9079938140

APPENDIX-IV [See rule-8(1)] POSSESSION NOTICE (For Immovable property)

Whereas, The undersigned being the Authorized officer of **Reliance Asset Reconstruction Company Limited**, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002. and in exercise of Powers conferred upon me under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice Dated 29.09.2023in respect of Loan Account bearing No. **3778/RARCBFL0000671761** calling upon the Borrowers, Mortgagors, Co-Borrowers & Guarantors :-**Mr. Arjun Lal Meena S/O Panchu Ram, Mrs. Sushila Devi W/O Arjun Lal Meena & Mr. Gopal Lal Meena S/O Nanda Ram** to repay the amount mentioned in the notice being **Rs.9,25,086/- (Rupees Nine Lac Twenty Five Thousand Eighty Six Only) together with Interest from 23.09.2023** within 60 days from the date of receipt of the said notice. The Borrower and guarantors mentioned herein above have failed to repay the said amount towards the bearing No **3778/RARCBFL0000671761.** The said loan account along with its underlying securities( ), including the Immovable Property had been acquired by Reliance Asset Reconstruction Company Limited acting a Trustee of RARC 077 Trust from **Baid Finserv Limited (Formerly known as Baid Leasing And Financ Co. Ltd.) ("Assigner")** in terms of section 5 of the SARSAESI Act 2002.
The Borrowers, Mortgagors, Co-Borrowers & Guarantors mentioned herein above having failed t repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Guarantor and the public in general that th undersigned has taken **Physical Possession** of the property described herein below in exercise c powers conferred on him/her under Sub Section (4) of Section 13 of the said Act read with Rule 8 c Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on **06/092024.**
The Borrower/Guarantor attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Ac In Respect of time available to redeem the secured assets.
The Borrowers, Mortgagors, Co-Borrowers & Guarantors mentioned herein above in particular an

Scanned with OKEN Scanner